कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 178/2025**(GCMS : **2025/271**)

Vastu Housing Finance Corporation Limited, Unit No. 203 & 204,2nd Floor, "A" Wing, Navbharat Estate, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai, Maharashtra-400015 **Branch Office Address** Vastu Housing Finance Corporation Limited, First Floor, Marudhar Plaza, F-300, Shyam Nagar, New Sanganer Road, Opposite Metro Pillar No. 102, Sodala Jaipur Rajasthan **Through Authorized Officer** Mr. Sriram Dudhwal

बनाम

1. **Mr. Mohan Lal Rersident Address** 10 EEA, Farasewala Barani, Padampur, Rajasthan -335061 **Office Address** Beenjhbayla Padampur, Sriganganagar, Rajasthan 335061 **Property Address** Book No. 02, Patta No. 64, Vill. 10, Eea Teh. Padampur, Dist-Sriganganagar, Rajasthan -335061
2. **Mrs Brima devi Rersident Address** 10 EEA, Farasewala Barani, Padampur, Rajasthan -335061 **Permanent Address** Chak 10 EEA, Farasewala Barani, Padampur, Rajasthan -335061 **Property Address** Book No. 02, Patta No. 64, Vill. 10, Eea The. Padampur, Dist-Sriganganagar, Rajasthan -335061
3. **Mr. Sushil Resident Address** Beenjhbayla,Padampur,Rajasthan-335061 **Permanent Address** Ward No. 1, Binjhbayala Padampur, Rajasthan-335061

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.09.2025

पत्रावली पेश प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दलीप गोदारा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मोहनलाल, बिरमा देवी एवं सुशील को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/–लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 09.12.2024 को 6,43,939/-- रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी बिरमा देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 64, बुक संख्या 02, ग्राम 10 ईईए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335061 पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2500 वर्गफीट है। (उक्त आवासीय सम्पत्ति की चारों सीमाएँ है : उत्तर में –कृष्णलाल, दक्षिण में – महेन्द्र, पूर्व में जसपाल एवं पश्चिम में – रास्ता),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धा[...] पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया [...] के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मोहनलाल, बिरमा देवी एवं सुशील** को 10.00/– लाख रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी बिरमा देवी ने अपनी अचल **आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 64, बुक संख्या 02, ग्राम 10 ईईए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335061**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:34:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2500 वर्गफीट है। (उक्त आवासीय सम्पत्ति की चारों सीमाएँ है : उत्तर में –कृष्णलाल, दक्षिण में – महेन्द्र, पूर्व में जसपाल एवं पश्चिम में – रास्ता), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.12.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 19.12.2024 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.12.2024 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील नहीं हुई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी बिरमा देवी की अचल सम्पत्ति **आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 64, बुक संख्या 02, ग्राम 10 ईईए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335061 पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2500 वर्गफीट है। (उक्त आवासीय सम्पत्ति की चारों सीमाएँ है : उत्तर में –कृष्णलाल, दक्षिण में – महेन्द्र, पूर्व में जसपाल एवं पश्चिम में – रास्ता)**, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 19.12.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक [illegible] को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण [illegible] बिरमा देवी एवं सुशील कुमार को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.12.2024 को भि[illegible] अंकित है अप्रार्थी **मोहन लाल के आनलाईन ट्रैक पर Item Dispatched/ Item Returned insufficient Address अंकित है, अप्रार्थी बिरमा देवी के आनलाईन ट्रैक पर Item Dispatched अंकित है तथा अप्रार्थी सुशील के आनलाईन ट्रैक पर Item Returned insufficient Address**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:34:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर